

आदेशानुसार
मेरा केंद्र

24/7/25 प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित मूल
वाद सं० 21/2025 उनवान बच्चन सिंह vs
अनोप कपूर वारी के विद्वां प्र० पत्र के
आधार पर खारिज किया जा चुका है।
इसलिए प्र० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
का औपचारिक रेष नही रह जाता है।
अतः प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को
खारिज किया जाता है पञ्जावली कुसल
शुमार होकर दफ्तर नं० से कम होकर
दाखिल दफ्तर है।

डा. मि. कपूर



Pran
un


उपसभ अधिकारी
संघ के

